रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122021-231634
CG-DL-E-06122021-231634

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4658] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 6, 2021/अग्रहायण 15, 1943
No. 4658] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 6, 2021/AGRAHAYANA 15, 1943

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5029(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 101 की उप-धारा (2) के खंड (ठ) के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (लेखाओं और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में**,** जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो**,--**

(क) 'अधिनियम' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) 'केंद्रीय प्राधिकरण' से अधिनियम की धारा 10 के अधीन स्थापित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) 'प्ररूप' से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(घ) 'वर्ष' से 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर तत्काल अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. बजट, लेखा और लेखापरीक्षा — (1) केंद्रीय प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि की समाप्ति पर, उस अवधि के संदर्भ में क्रमशः प्ररूप-I, प्ररूप-II, प्ररूप-III में एक तुलन-पत्र, आय एवं व्यय का एक लेखा और प्राप्ति तथा भुगतान का लेखा तैयार करेगा।

(2) केंद्रीय प्राधिकरण, उप-नियम (1) के अधीन तैयार किए गए लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को उस वित्तीय वर्ष, जिससे ये संबंधित है, से आगे न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित करेगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों पर केंद्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त, दो आयुक्तों और मुख्य लेखा अधिकारी या वित्त और लेखा के कार्यसाधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् अनुमोदित लेखाओं के वार्षिक विवरण को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक संबंधित लेखापरीक्षा कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा और उचित अनुमोदनों के पश्चात्, वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं को 31 दिसम्बर तक संसद के पटल पर रखे जाने के लिए नोडल मंत्रालय को अग्रेषित किया जाएगा।

[फा. सं. जे-25/52/2021-सीसीपीए]

अनुपम मिश्रा, आयुक्त

प्ररूप I

वित्तीय विवरण का प्ररूप

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

----------------------------- तक की स्थिति के अनुसार **तुलन पत्र**

<u>कॉर्पस/ पूंजीगत निधि और देयताएं</u>	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कॉर्पस/पूंजीगत निधि			
आरक्षित और अधिशेष निधि	2		
निर्धारित / बंदोबस्ती निधि			
प्रतिभूत ऋण और उधारियां	4		
अप्रतिभूत ऋण और उधारियां	5		
आस्थगित ऋण	6		
देयताएं	7		
चालू देयताएं और प्रावधान			
कुल			
<u>परिसंपत्तियां</u>			
अचल परिसंपत्ति			
निवेश- निर्धारित / बंदोबस्ती निधि से			
निवेश- अन्य			
चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि			
विविध व्यय			
(बट्टे खाते में न डाले गए या समायोजित न किए गए की सीमा तक)	24		
	25		
कुल		.....	.....
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां			
आकस्मिक देयताएं और **लेखा संबंधी** टिप्पणियां			

प्ररूप -II

वित्तीय विवरण का प्ररूप

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

.... को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय	12		
अनुदान/सब्सिडियां	13		
शुल्क/अभिदान	14		
निवेश से आय (निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर आय निधियों में अंतरित)	15		
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16		
अर्जित ब्याज	17		
अन्य आय	18		
शेयर की तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / (कमी) और प्रगति पर कार्य	19		
कुल (क)			
व्यय	20		
स्थापना व्यय	21		
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि।	22		
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय ।	23		
ब्याज			
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के संगत समाप्त वर्ष को कुल निवल)			
कुल (ख)			
व्यय की तुलना में अधिक **आय** के कारण शेष			
विशेष आरक्षित निधि में अंतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षित निधि में / से अंतरण			
कॉर्पस/पूंजीगत निधि **में ले जाये गये अधिशेष / (घाटे)** के कारण शेष	24		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	25		
आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां			

प्ररूप III

वित्तीय विवरण का प्ररूप

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

.... को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान (राशि-रुपये में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	______ भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. अथशेष क) नकदी ख) खातों में शेष i) चालू खातों में ii) जमा खातों में iii) बचत खातों में			व्यय क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के संगत) ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के संगत)	''''''"	''''''''
II. प्राप्त अनुदान क) भारत सरकार से ख) राज्य सरकार से ग) अन्य स्रोतों से (विवरण) (पूंजी और राजस्व के लिए अनुदान को अलग से दर्शाया जाए)	''''''''	"''''	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के सापेक्ष किया गया भुगतान (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ निधि या परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
III. निम्नलिखित में निवेश पर आय क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधि ख) स्वामित्वाधीन निधि (निवेश)			III. निम्नलिखित से किए गए निवेश और जमा क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधि से ख) स्वामित्वाधीन निधि से (निवेश-अन्य)		
IV. प्राप्त ब्याज क) बैंक जमाओं पर ख) ऋण, अग्रिम आदि।	''''''''	''''''''	IV. अचल परिसंपत्तियों और पूंजीगत कार्य प्रगति पर किए गए व्यय क) अचल संपत्तियों की खरीद ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			V. अधिशेष धनराशि/ऋण की वापसी क) भारत सरकार को ख) राज्य सरकार को ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को VI. वित्त प्रभार (ब्याज) VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)	'''''' '''''	''''"'' '''''
VI. उधार ली गई राशि VII. कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)			VIII. अंत शेष क) नकदी ख) खातों में शेष i) चालू खातों में ii) जमा खातों में iii) बचत खातों में	''''''''	''''''''
कुल			कुल		

CENTRAL CONSUMER PROTECTION AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2021

S.O. 5029(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 read with clause (l) of sub-section (2) of section 101 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government, in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Central Consumer Protection Authority (Form of annual statement of accounts and records) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—** (1) In these rules, unless context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) "Central Authority" means the Central Consumer Protection Authority established under section 10 of the Act;

(c) "Form" means a form appended to these rules;

(d) "Year" means the financial year beginning on the 1st April and ending on the 31st March of the year immediately following.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Budget, Accounts and Audit.—** (1) At the expiration of a period of twelve months ending with the 31st March of every year, the Central Authority shall prepare, with reference to that period, a balance-sheet, an income and expenditure account and receipt and payment account in Form – I, Form – II and Form – III, respectively.

(2) The Central Authority shall preserve accounts and other relevant records prepared under sub-rule (1) for a minimum period of five years following the financial year to which they relate.

(3) The account and other relevant records under the sub-rule (1) shall be signed by the Chief Commissioner, two Commissioners and the Chief Account Officer or officer- in-charge of Finance and Accounts of the Central Authority.

(4) The Annual statement of Accounts duly approved by the competent authority shall be forwarded to the concerned audit office by 30th June every year and after due approval, the annual report and the audited accounts shall be forwarded to the nodal Ministry for it to be laid on the table of the Parliament by 31st December.

[F. No.- J-25/52/2021-CCPA]

ANUPAM MISHRA, Commissioner

Form I

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

CENTARL CONSUMER PROTECTION AUTHORITY

BALANCE SHEET AS AT----------------------------

<u>CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u> CORPUS / CAPITAL FUND	Schedule	Current Year	**Previous** Year
RESERVES AND SURPLUS EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS SECURED LOANS AND BORROWINGS UNSECURED LOANS AND BORROWINGS DEFERRED CREDIT LIABILITIES CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	2 4 5 6 7		
TOTAL			
<u>ASSETS</u> FIXED ASSETS INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS INVESTMENTS-OTHERS CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCESETC. MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	24 25		
TOTAL		.....	.....
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES **CONTING ENT LIABILITIES**A NDN OTES **ON ACCOUNTS**			

Form -II

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

CENTRAL CONSUMER PROTECTION AUTHORITY

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED________

INCOME	Schedule	CurrentYear	PreviousYear
Income from Sales/Services	12		
Grants/Subsidies	13		
Fees/Subscriptions	14		
Income form Investments (Income on Invest. from earmarked/endow. Funds transferred to Funds)	15		
Income from Royalty, Publication etc.	16		
Interest Earned	17		
Other Income	18		
Increase/(decrease) in stock of Finished goods an works-in-progress	19		
TOTAL (A)			
EXPENDITURE	20		
Establishment Expenses	21		
Other Administrative Expensesetc.	22		
Expenditure on Grants, Subsidiesetc.	23		
Interest			
Depreciation (Net Total at the year-end-corresponding to Schedule 8)			
TOTAL (B)			
Balance **being** excess of **Income** over Expenditure (A-B)			
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to/from General Reserve			
BALANCE BEING **SURPLUS / (DEFICIT) CARRIED TO** CORPUS / CAPITALFUND	24		
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	25		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS			

Form III

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

CENTARL CONSUMER PROTECTION AUTHORITY

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED--------------------------- (Amount –Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balance			1. Expenses		
a) Cash in hand			a) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 20)	,,,,,,	,,,,,,
b) Bank Balances					
i) In current accounts			b) Administrative Expenses (corresponding To Schedule 21)		
ii) In deposit accounts					
iii) Savings accounts					
II. Grants Received					
a) From Government of India					
b) From State Government	,,,,,,	,,,,,			
c) From other sources (details)					
(Grants for capital & revenue exp. To be shown separately)			II. Payments made against funds for various protects		
			(Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project)		
III. Income on Investments from					
a) Earmarked /Endow. Funds					
b) Own Funds (() th. Investment)					
IV. Interest Received					
a) On Bank deposits					
b) Loans. Advances etc.	,,,,,,,	,,,,,,,	III. Investments and deposits made		
			a) Out of Earmarked/Endowment funds		
			b) Out of Own Funds (Investments-Others)	,,‘‘	,‘‘‘‘
V. Other Income (Specify)					
			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capita 1 Work-in-Progress		
			a) Purchase of Fixed Assets	,,,,,,	,,,,,,
VI. Amount Borrowed			b) Expenditure on Capital Work-in-progress	,,,,,,	,,,,,,
VII. Any other receipts (give details)					
			V. Refund of surplus money /Loans		
			a) To the Government of India		
			b) To the State Government		
			c) To other providers of funds		

			VI. Finance Charges (Interest) VII. Other Payments (Specify) VIII. <u>Closing Balances</u> a) Cash in hand b) Bank Balances i) In current accounts ii) In deposit accounts iii) Savings accounts		
Total			Total		

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.06 22:43:29 +05'30'